



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन", मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011
फोन नं.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in

पटवारी भर्ती परीक्षा-2017

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र		
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 28.10.2017	ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि : 11.11.2017	
आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 28.10.2017	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 16.11.2017	
परीक्षा दिनांक व दिन	09.12.2017 से 31.12.2017 तक	
परीक्षा शुल्क		
सीधी भर्ती के पदों हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रु. 500/-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के स्थानीय निवासियों के लिये)	रु. 250/-
कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 70/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रु. देय होगा।		

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित करने का समय
09.12.2017 से 31.12.2017 तक	प्रथम	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 1:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। अभ्यर्थी का आधार के माध्यम से (e-KYC) आवेदन पत्र ही मान्य होंगे।
2. **अभ्यर्थी को म0प्र0 का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।**
3. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है।
4. यू.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
10. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

11. विभाग के पद कार्यपालिक होने से भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया एवम् भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा, वे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। (ऐसी स्थिति में नियमपुस्तिका की बैगा, सहारिया एवम् भारिया से संबंधित सभी कण्डिकाये विलोपित मान्य होंगी।)

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

पटवारी भर्ती परीक्षा-2017

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रं.
1.	1	पटवारी भर्ती परीक्षा-2017	
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	
3	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	
4.	प्रारूप-1	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	
5.	प्रारूप-2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	
6	प्रारूप-3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक	
7	प्रारूप-4	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	

अध्याय-१

पटवारी चयन परीक्षा- 2017 हेतु चयन संबंधी नियम/निर्देश

1. पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा हेतु निम्न निर्देश लागू होंगे।
2. **सामान्य:-**
यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2017 में आवेदन कर रहे हैं।
3. **परिभाषाएँ :-**
 - 3.1 आरक्षण से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।
 - 3.2 “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
 - 3.3 “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
 - 3.4 “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5 पच्चीस 4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में।

3.5 “भर्ती का वर्ष” से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली 12 मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसे रिक्त पद के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है

3.6 “भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है” ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित हैं, किसी भी रैंक (लडाकू या गैर लडाकू) के कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की हो और -

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी निर्मुक्त के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो या-

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अंतरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अधिक अवधि के लिये करनी पड़ी हो,

(तीन) जिसे केन्द्र शासन के सशस्त्र बल में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो ।

4. वेतनमान :-

पटवारी पद हेतु वेतनमान रुपये 5200-20200+2100 ग्रेड पे है ।

5. अर्हताएँ:-

पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिये वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ हैं :-

1. "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ।"

2. पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथापि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षाधीन अवधि 02 वर्ष के अन्दर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी ।

टीप :- 1. ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय राजस्व विभाग द्वारा परीक्षा में नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

टीप :- 2. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा, वे अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं ।

6. आरक्षण :-

6.1 पटवारी का पद जिलास्तरीय संवर्ग पद है । अतः जिला स्तर पर लागू पदों का आरक्षण एवं रोस्टर का पालन चयन प्रक्रिया के दौरान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

शासन द्वारा जिलेवार स्वीकृत 100 बिन्दु रोस्टर का पूर्णतः पालन करते हुए जिले के कुल वर्गवार रिक्त पदों में आरक्षण की संख्या सुनिश्चित करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियमानुसार विज्ञप्ति प्रकाशित की जावेगी । अनुसूचित वर्ग के पदों को किसी अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जावेगा ।

6.2 महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत पदों का आरक्षण (Horizontal) होगा । यदि किसी भी अनारक्षित/आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में चयन होने से रिक्त

रह जाते हैं तो ऐसे पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (Carry forward) नहीं किये जायेगे। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भरे जावेगे।

6.3 निःशक्तजनों के लिये श्रवण बाधित/अस्थि बाधित श्रेणी में कुल 6 प्रतिशत आरक्षण (Horizontal) होगा। जो दोनों श्रेणी के लिए 3-3% होगा। **मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 648/2009/सात/5 बी दिनांक 11 मई 2009 के अनुसार दृष्टिबाधित अभ्यर्थी पटवारी पद हेतु मान्य नहीं होंगे।**

6.4 भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 प्रतिशत पदों का आरक्षण (Horizontal) होगा। यदि किसी भी अनारक्षित/आरक्षित प्रवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पद उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी के अभाव में चयन होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (Carry forward) नहीं किये जायेगे। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के उम्मीदवार से भरे जावेगे।

आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण:-

आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगा।

7. स्थानीय निवासी:-

भारत का नागरिक हो तथा म0प्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

8. आयु सीमा :-

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवाओं हेतु समय समय पर जारी प्रावधान अनुसार यथा संशोधित आयु सीमा लागू होगी। विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय-2 की कण्डिका 2.6 का अध्ययन करें।

9. निरहताएँ:-

9.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

9.2 दुश्चरित्र होने पर।

9.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण काम। शारीरिक दुर्बलता (Physical infirmity) भी ऐसा होना चाहिए की जो अस्थायी दशा (Temporary Phase) न हो, बल्कि शारीरिक ऐसी अस्वस्थता हो जिसमें रोग का स्थायित्व हो गया हो और उसके कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

9.4 पररूपधारण -किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

9.5 विवाह संबंधी -जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे पटवारी के पद पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/स्त्री से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गयी हो वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी, 2001 के पश्चात आगामी प्रसव में 2 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।

9.6 कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर

9.7 परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास

9.8 कदाचरण संबंधी -किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

9.9 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरुद्ध दर्ज किसी अपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।

9.10 स्वास्थ्य संबंधी - मानसिक रूप से फिट न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

9.11 फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छिपायी हो/सारभूत जानकारी छिपायी हो।

10. रिक्तियाँ:- जिलेवार दिनांक 31.12.2017 तक अनुमानित रिक्तियाँ निम्नानुसार हैं :-

1. जिला- श्योपुर सीधी भर्ती पटवारी कुल 195 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-01)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	नि:शक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	55	23	5	3	86	निशक्तजनों की कुल 11 रिक्तियों में से 05 पद श्रवण बाधित एवं 06 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	17	8	2	1	28	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	36	12	3	1	52	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	19	7	2	1	29	
	योग	127	50	12	6	195	

2. जिला - मुरैना सीधी भर्ती पटवारी कुल 245 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-02)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	नि:शक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	124	32	8	3	167	निशक्तजनों की कुल 11 रिक्तियों में से 05 पद श्रवण बाधित एवं 06 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	33	10	3	1	47	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	2	1	0	0	3	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	19	6	2	1	28	
	योग	178	49	13	5	245	

3. जिला भिण्ड सीधी भर्ती पटवारी कुल 196 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-03)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	नि:शक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	98	25	6	3	132	निशक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 05 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का नि:शक्तजन
2	अनुसूचित जाति (SC)	33	8	2	1	44	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	0	0	0	0	0	

4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	12	6	1	1	20	इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
	योग	143	39	9	5	196	

4. जिला ग्वालियर सीधी भर्ती पटवारी कुल 143 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-04)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	61	17	5	2	85	निशक्तजनों की कुल 06 रिक्तियों में से 03 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	22	7	1	1	31	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	3	1	0	0	4	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	16	5	1	1	23	
	योग	102	30	7	4	143	

5. जिला- शिवपुरी सीधी भर्ती पटवारी कुल 317 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-05)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	127	37	9	5	178	निशक्तजनों की कुल 15 रिक्तियों में से 07 पद श्रवण बाधित एवं 08 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	43	12	3	2	60	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	25	7	2	1	35	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	32	9	2	1	44	
	योग	227	65	16	9	317	

6. जिला- गुना सीधी भर्ती पटवारी कुल 177 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-06)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	82	20	5	2	109	निशक्तजनों की कुल 05 रिक्तियों में से 02 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	26	6	0	0	32	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	17	5	1	0	23	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	9	4	0	0	13	
	योग	134	35	6	2	177	

7. जिला- अशोकनगर सीधी भर्ती पटवारी कुल 138 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-07)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 पद श्रवण बाधित एवं 01 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	72	14	2	1	89	
2	अनुसूचित जाति (SC)	19	5	2	0	26	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	8	2	0	0	10	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	8	4	1	0	13	
	योग	107	25	5	1	138	

८. जिला- दतिया सीधी भर्ती पटवारी कुल 139 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-08)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 05 रिक्तियों में से 02 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	77	16	3	1	97	
2	अनुसूचित जाति (SC)	19	6	1	1	27	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	2	0	0	0	2	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	8	3	2	0	13	
	योग	106	25	6	2	139	

9. जिला- उज्जैन सीधी भर्ती पटवारी कुल 239 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-09)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 11 रिक्तियों में से 05 पद श्रवण बाधित एवं 06 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	101	34	7	3	145	
2	अनुसूचित जाति (SC)	38	15	3	1	57	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	2	2	1	0	5	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	22	8	1	1	32	
	योग	163	59	12	5	239	

10. जिला- देवास सीधी भर्ती पटवारी कुल 173 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-10)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 05 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	62	18	4	2	86	
2	अनुसूचित जाति (SC)	21	9	2	1	33	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	18	8	2	1	29	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	15	7	2	1	25	

योग	116	42	10	5	173	श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
-----	-----	----	----	---	-----	---

11. जिला रतलाम सीधी भर्ती पटवारी कुल 174 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-11)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	69	23	5	2	99	निशक्तजनों की कुल 08 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 04 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	10	6	1	1	18	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	21	12	3	1	37	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	11	7	1	1	20	
	योग	111	48	10	5	174	

12. जिला- शाजापुर सीधी भर्ती पटवारी कुल 129 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-12)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	54	19	4	2	79	निशक्तजनों की कुल 06 रिक्तियों में से 03 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	19	7	3	1	30	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	3	1	0	0	4	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	10	5	1	0	16	
	योग	86	32	8	3	129	

13. जिला- आगर मालवा सीधी भर्ती पटवारी कुल 156 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-13)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	85	21	5	2	113	निशक्तजनों की कुल 06 रिक्तियों में 03 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	14	8	2	0	24	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	2	1	0	0	3	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	9	5	1	1	16	
	योग	110	35	8	3	156	

14. जिला-मंदसौर सीधी भर्ती पटवारी कुल 207 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-14)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 05 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	121	25	6	3	155	
2	अनुसूचित जाति (SC)	18	7	2	1	28	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	3	1	0	0	4	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	12	6	1	1	20	
	योग	154	39	9	5	207	

15. जिला- नीमच सीधी भर्ती पटवारी कुल 118 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-15)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 06 रिक्तियों में से 03 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	57	19	4	2	82	
2	अनुसूचित जाति (SC)	6	2	1	0	9	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	5	2	1	0	8	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	13	5	1	0	19	
	योग	81	28	7	2	118	

16. जिला-इंदौर सीधी भर्ती पटवारी कुल 190 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-16)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 10 रिक्तियों में से 05 पद श्रवण बाधित एवं 05 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित हैं। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	101	44	8	3	156	
2	अनुसूचित जाति (SC)	15	4	2	1	22	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	6	3	1	0	10	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0	0	1	1	2	
	योग	122	51	12	5	190	

17. जिला- धार सीधी भर्ती पटवारी कुल 271 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-17)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 12 रिक्तियों में से 06 पद श्रवण बाधित एवं 06 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	79	12	3	2	97	
2	अनुसूचित जाति (SC)	13	4	1	0	18	

3	अनुसूचित जनजाति(ST)	83	30	7	3	123	आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	23	7	2	1	33	
	योग	198	54	13	6	271	

18. जिला- झाबुआ

सीधी भर्ती पटवारी कुल 126 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-18)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	0	0	0	0	0	निशक्तजनों की कुल 06 रिक्तियों में से 03 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	0	0	0	0	0	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	89	25	6	3	123	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	1	0	0	3	
	योग	91	26	6	3	126	

19. जिला - अलीराजपुर

सीधी भर्ती पटवारी कुल 81 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-19)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	1	0	0	0	1	निशक्तजनों की कुल 03 रिक्तियों में से 01 पद श्रवण बाधित एवं 02 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	2	1	0	0	3	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	48	16	4	2	70	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	6	1	0	0	7	
	योग	57	18	4	2	81	

20. जिला- खरगोन

सीधी भर्ती पटवारी कुल 178 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-20)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	59	15	4	2	80	निशक्तजनों की कुल 08 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 04 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	13	4	1	1	19	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	41	13	3	2	59	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	13	5	1	1	20	
	योग	126	37	9	6	178	

21. जिला- बडवानी सीधी भर्ती पटवारी कुल 73 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-21)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 04 रिक्तियों में से 02 पद श्रवण बाधित एवं 02 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	7	3	1	0	11	
2	अनुसूचित जाति (SC)	4	1	0	0	5	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	32	11	3	1	47	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	7	2	1	0	10	
	योग	50	17	5	1	73	

22. जिला- खंडवा सीधी भर्ती पटवारी कुल 200 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-22)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 05 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	60	16	4	2	82	
2	अनुसूचित जाति (SC)	15	5	1	1	22	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	59	13	3	1	76	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	12	4	2	2	20	
	योग	146	38	10	6	200	

23. जिला- बुरहानपुर सीधी भर्ती पटवारी कुल 63 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-23)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 02 रिक्तियों में से 01 पद श्रवण बाधित एवं 01 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	21	7	3	1	32	
2	अनुसूचित जाति (SC)	3	2	1	0	6	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	10	4	1	0	15	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	7	2	1	0	10	
	योग	41	15	6	1	63	

24. जिला- भोपाल सीधी भर्ती पटवारी कुल 178 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-24)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 10 रिक्तियों में से 05 पद श्रवण बाधित एवं 05 पद
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	84	31	8	4	127	

2	अनुसूचित जाति (SC)	14	7	1	1	23	अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	3	2	0	0	5	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	14	7	1	1	23	
	योग	115	47	10	6	178	

25. जिला- सीहोर सीधी भर्ती पटवारी कुल 161 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-25)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	61	20	12	6	99	निशक्तजनों की कुल 08 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 04 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	24	7	5	2	38	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	4	4	3	1	12	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2	5	3	2	12	
	योग	91	36	23	11	161	

26. जिला- रायसेन सीधी भर्ती पटवारी कुल 184 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-26)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	72	23	6	3	104	निशक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 05 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	16	7	2	1	26	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	19	7	2	1	29	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	17	7	1	0	25	
	योग	124	44	11	5	184	

27. जिला राजगढ़ सीधी भर्ती पटवारी कुल 225 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-27)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	116	32	8	3	159	निशक्तजनों की कुल 11 रिक्तियों में से 05 पद श्रवण बाधित एवं 06 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी
2	अनुसूचित जाति (SC)	30	8	2	1	41	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	16	7	2	0	25	

	योग	162	47	12	4	225	श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
--	-----	-----	----	----	---	-----	--

28. जिला- विदिशा सीधी भर्ती पटवारी कुल 229 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-28)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	94	39	6	3	142	निशक्तजनों की कुल 12 रिक्तियों में से 06 पद श्रवण बाधित एवं 06 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	28	14	2	1	45	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	9	3	0	0	12	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	20	8	1	1	30	
	योग	151	64	9	5	229	

29. जिला- बैतूल सीधी भर्ती पटवारी कुल 169 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-29)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	44	15	3	2	64	निशक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 05 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	14	4	1	1	20	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	43	16	4	2	65	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	12	6	1	1	20	
	योग	113	41	9	6	169	

30. जिला- होशंगाबाद सीधी भर्ती पटवारी कुल 177 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-30)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	86	20	5	2	113	निशक्तजनों की कुल 08 रिक्तियों में से 04पद श्रवण बाधित एवं 04पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	17	6	1	1	25	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	13	6	1	1	21	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	11	5	1	1	18	
	योग	127	37	8	5	177	

31. जिला- हरदा सीधी भर्ती पटवारी कुल 118 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-31)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 06 रिक्तियों में 03 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	26	12	2	1	41	
2	अनुसूचित जाति (SC)	14	6	1	0	21	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	21	9	2	0	32	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	15	7	2	0	24	
	योग	76	34	7	1	118	

32. जिला- सागर सीधी भर्ती पटवारी कुल 321 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-32)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 15 रिक्तियों में से 07 पद श्रवण बाधित एवं 08 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	130	38	9	5	182	
2	अनुसूचित जाति (SC)	53	14	3	2	72	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	17	6	1	1	25	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	29	10	2	1	42	
	योग	229	68	15	9	321	

33. जिला- दमोह सीधी भर्ती पटवारी कुल 170 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-33)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 05 पद श्रवण बाधित एवं 04 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	65	20	5	2	92	
2	अनुसूचित जाति (SC)	23	7	2	1	33	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	15	5	1	1	22	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	16	5	1	1	23	
	योग	119	37	9	5	170	

34. जिला- पन्ना सीधी भर्ती पटवारी कुल 152 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-34)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन निशक्तजनों की कुल 07 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	59	16	4	2	81	
2	अनुसूचित जाति (SC)	16	7	1	1	25	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	14	5	1	1	21	

4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	18	5	1	1	25	श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
	योग	107	33	7	5	152	

35. जिला- छतरपुर सीधी भर्ती पटवारी कुल 218 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-35)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	112	35	8	4	159	निशक्तजनों की कुल 11 रिक्तियों में से 06 पद श्रवण बाधित एवं 05 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	30	11	3	1	45	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	0	0	0	0	0	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	9	4	1	0	14	
	योग	151	50	12	5	218	

36. जिला- टीकमगढ़ सीधी भर्ती पटवारी कुल 251 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-36)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	93	32	8	4	137	निशक्तजनों की कुल 12 रिक्तियों में से 06 पद श्रवण बाधित एवं 06 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	50	13	3	2	68	
3	अनुसूचित जनजाति (ST)	8	3	1	0	12	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	23	8	2	1	34	
	योग	174	56	14	7	251	

37. जिला जबलपुर सीधी भर्ती पटवारी कुल 180 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-37)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	80	27	6	2	115	निशक्तजनों की कुल 08 रिक्तियों में 04 पद श्रवण बाधित एवं 04 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये
2	अनुसूचित जाति (SC)	12	7	1	1	21	

3	अनुसूचित जनजाति(ST)	12	6	1	1	20	आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	16	6	1	1	24	
	योग	120	46	9	5	180	

38. जिला- कटनी सीधी भर्ती पटवारी कुल 157 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-38)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	59	17	4	2	82	निशक्तजनों की कुल 07 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	9	4	1	0	14	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	33	7	1	1	42	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	12	4	2	1	19	
	योग	113	32	8	4	157	

39. जिला- नरसिंहपुर सीधी भर्ती पटवारी कुल 194 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-39)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	89	22	5	3	119	निशक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 05 पद श्रवण बाधित एवं 04 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	16	6	1	1	24	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	16	5	1	1	23	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	20	6	1	1	28	
	योग	141	39	8	6	194	

40. जिला- छिंदवाड़ा सीधी भर्ती पटवारी कुल 262 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-40)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	88	23	5	3	119	निशक्तजनों की कुल 12 रिक्तियों में से 06 पद श्रवण बाधित एवं 06 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित
2	अनुसूचित जाति (SC)	19	7	1	1	28	
3	अनुसूचित	54	21	5	2	82	

	जनजाति(ST)						होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा ।
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	23	8	1	1	33	ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
	योग	184	59	12	7	262	

41. जिला- सिवनी सीधी भर्ती पटवारी कुल 181 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-41)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	68	16	4	2	90	निशक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 05 पद श्रवण बाधित एवं 04 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	10	4	1	1	16	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	34	15	3	2	54	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	13	6	1	1	21	
	योग	125	41	9	6	181	

42. जिला- मंडला सीधी भर्ती पटवारी कुल 223 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-42)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	18	5	1	1	25	निशक्तजनों की कुल 11 रिक्तियों में से 06 पद श्रवण बाधित एवं 05 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	16	3	1	0	20	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	90	36	9	4	139	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27	9	2	1	39	
	योग	151	53	13	6	223	

43. जिला- डिंडोरी सीधी भर्ती पटवारी कुल 152 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-43)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	26	5	1	1	33	निशक्तजनों की कुल 07 रिक्तियों में से 04 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित
2	अनुसूचित जाति (SC)	4	2	1	0	7	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	72	21	5	2	100	

4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	7	3	1	1	12	होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं ।
	योग	109	31	8	4	152	

44. जिला- बालाघाट सीधी भर्ती पटवारी कुल 240 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-44)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	106	31	7	4	148	निशक्तजनों की कुल 12 रिक्तियों में से 06 पद श्रवण बाधित एवं 06 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं ।
2	अनुसूचित जाति (SC)	11	4	1	0	16	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	33	12	3	1	49	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	17	7	2	1	27	
	योग	167	54	13	6	240	

45. जिला- रीवा सीधी भर्ती पटवारी कुल 150 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-45)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	91	15	8	4	118	निशक्तजनों की कुल 04 रिक्तियों में से 02 पद श्रवण बाधित एवं 02 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं ।
2	अनुसूचित जाति (SC)	19	4	2	1	26	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	4	2	0	0	6	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	0	0	0	0	0	
	योग	114	21	10	5	150	

46. जिला- शहडोल सीधी भर्ती पटवारी कुल 120 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-46)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	37	9	2	1	49	निशक्तजनों की कुल 05 रिक्तियों में से 03 पद श्रवण बाधित एवं 02 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा । ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं ।
2	अनुसूचित जाति (SC)	8	2	1	0	11	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	32	10	3	1	46	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	10	3	1	0	14	
	योग	87	24	7	2	120	

47. जिला -अनूपपुर सीधी भर्ती पटवारी कुल 116 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-47)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	26	12	2	0	40	निशक्तजनों की कुल 05 रिक्तियों में से 03 पद श्रवण बाधित एवं 02 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	6	2	1	0	9	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	30	15	4	1	50	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	12	4	0	1	17	
	योग	74	33	7	2	116	

48. जिला- उमरिया सीधी भर्ती पटवारी कुल 96 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-48)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	34	7	2	1	44	निशक्तजनों की कुल 04 रिक्तियों में से 02 पद श्रवण बाधित एवं 02 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	4	2	0	0	6	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	23	8	2	1	34	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	8	3	1	0	12	
	योग	69	20	5	2	96	

49. जिला -सीधी सीधी भर्ती पटवारी कुल 127 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-49)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	49	13	3	2	67	निशक्तजनों की कुल 03 रिक्तियों में से 03 पद श्रवण बाधित एवं 03 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	11	3	1	0	15	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	20	8	2	1	31	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	9	4	1	0	14	
	योग	89	28	7	3	127	

50. जिला- सिंगरौली सीधी भर्ती पटवारी कुल 252 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-50)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	82	26	6	3	117	निशक्तजनों की कुल 13 रिक्तियों में से 07 पद श्रवण बाधित एवं 06 पद

2	अनुसूचित जाति (SC)	17	8	2	1	28	अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	50	20	4	2	76	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	19	9	2	1	31	
	योग	168	63	14	7	252	

51. जिला- सतना सीधी भर्ती पटवारी कुल 304 पदों की आरक्षण तालिका - (पोस्ट कोड-51)

स.क्र.	श्रेणी	बिन वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	निःशक्तजन
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित (UR)	109	51	9	4	173	निशक्तजनों की कुल 15 रिक्तियों में से 08 पद श्रवण बाधित एवं 07 पद अस्थिबाधित निशक्तजन के लिये आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। ये पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं।
2	अनुसूचित जाति (SC)	35	17	3	1	56	
3	अनुसूचित जनजाति(ST)	26	12	3	1	42	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	21	9	2	1	33	
	योग	191	89	17	7	304	

टीप:- निःशक्तजन / भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन नियमानुसार संबंधित जिलो द्वारा किया गया है।

11. चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया :-

(1) परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।

(2) पटवारी चयन के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- (क) अभ्याथियों के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के जिलो को वरीयता के क्रम अंकित किये जायेगे।
- (ख) पटवारी पद एक जिला स्तरीय संवर्ग का पद हैं अतः अभ्याथियों को अपने आवेदन पत्र में जिला अंकित करना होगा, जिस जिले में अभ्यर्थी पदस्थापना चाहते हैं। यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय अपनी पद स्थापना हेतु जिलो में प्राथमिकता अंकित करते समय एक या अधिक जिलो का चयन नहीं करते हैं तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी इस/इन जिलो में पदस्थापना नहीं चाहता हैं भले ही अभ्यर्थी मेरिट सूची में चयन क्रम अनुसार पदस्थापना की पात्रता रखता हो तथा उसकी उस जिले में पदस्थापना नहीं की जाएगी।
- (ग) आवेदन के समय जिलो की दी गई वरीयता में आवेदन जमा करने के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(3) प्रतियोगी परीक्षा उपरांत उत्तीर्ण अभ्यथियों की मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी।

- (4) अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दिए गए जिले के वरीयता क्रम एवं मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन किया जायेगा | यदि आवंटन उपरांत पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसके पश्चात् पद भरने तक या अधिकतम तीन बार काउंसिलिंग द्वारा पद भरने की प्रक्रिया की जावेगी |
- (5) जिलेवार प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी जिसमें 15% अभ्यर्थी रखे जायेगे तथा ये प्रतीक्षा सूची 18 माह तक के लिए मान्य होगी | ये प्रतीक्षा सूची सभी जिलों को उपलब्ध कराई जायेगी |
- (6) प्रतीक्षा सूची से शेष रह गए रिक्त पदों कार्यभार में उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों, नवीन सृजित पत्र, त्याग पत्र, सेवा से पदच्युत, आदि कारण होने पर जिला कलेक्टर द्वारा पात्र अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा |
- (7) जिला कलेक्टर चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति-पत्र जारी करने हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रेषित करेगा | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा संबंधित के नियुक्ति आदेश जारी किये जायेगे |
- (8) कोई भी चयनित अभ्यर्थियों को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जायेगा |

12. न्याय/क्षेत्राधिकार:-

किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा |

अध्याय-2

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

- 2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**
- (ii) **पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।**
- (iii) **अभ्यर्थी को म0प्र0 का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।**
- (iv) अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र / तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे |
- 2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी |
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी |
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर **अभ्यर्थी** की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी |

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

- बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।
- काला बॉलपवाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)
- फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, एवं पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य हैं। यू.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone, Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णतः वर्जित है।

2.5 नागरिकता एवं स्थानीय निवासी के संबंध में :-

- पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार / आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिये एवं मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यक्षीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए।

2.6 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

- अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एवं पत्र क्र./सी.3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

(i) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट :-

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित/कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 + 12 = 40	25 + 15 = 40
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
3	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
4	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
5	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय /निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45

6	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	28 + 17 = 45	25 + 20 = 45
---	--------------------------	--------------	--------------

2.7 मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

- (i) आदिम जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (ii) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. सी-3-18-85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।
- (iii) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2.8 (अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

- (i) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- शब्द “छटनी” किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

- (ii) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति-रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और

- (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
- (ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,
- (3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों।
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के जापन क्रं. 3345-4005-सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

- टीप :** (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
- (2) यदि कोई आवेदक प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2.8 (ब) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रं. 524/575/2015/आप्र/एक भोपाल, दिनांक 25 जून 2015 के आधार पर भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के नियम-5 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

“ आयु-सीमा के संबंध में विशेषा उपबंध-राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में किसी रिक्त स्थान पर चाहे वह इन नियमों के अधीन आरक्षित हो या अनारक्षित हो, नियुक्ति के लिये प्रत्येक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो संघ के सशस्त्र बलों में लगातार कम से कम छह मास तक सेवा में रहा हो, उसकी वास्तविक आयु में से ऐसी सेवा की कालावधि घटाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसके

परिणामस्वरूप आयु उस पद या सेवा के लिये, जिसके लिये वह नियुक्ति चाहता है, चिहित अधिकतम आयु-सीमा में तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह आयु-सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है।

2.9 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं /2017/280/364आभोपाल एक/प्र., दिनांक 2017 मई 31 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(i) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
2. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
3. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
4. लेखन लिपिक (सहायक) या अतिरिक्त समय की सुविधा प्रदान की जावेगी।

(ii) लेखन लिपिक की सुविधा :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा या अतिरिक्त समय प्रदान किया जावेगा। यदि परीक्षार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 60 मिनट

2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 40 मिनट

(iii) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

1. परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाकर लिखित अनुमति प्राप्तिकिया जाना अनिवार्य होगा।
2. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता/प्रश्न-पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए।
3. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।
4. निःशक्तजनों को उपरोक्त सुविधायें प्राप्त करने हेतु online आवेदन पत्र में अपनी choice भरनी होती है तथा Document upload करना होगा।

2.10 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.11 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

- (i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।
- (ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।
- (iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पाईंट पेन से) अंकित करना होगी।
- (iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.12 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.13 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियाँ आहूत की जाती है तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- (i) प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- (ii) प्रश्न की संरचना गलत हो।
- (iii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- (iv) कोई भी विकल्प सही न हो।
- (v) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- (vi) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- (vii) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।
- (viii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण 01 :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

उदाहरण 02 :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

उदाहरण 03 :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी./ 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.13 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति :-

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा । जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{\bar{M}_i - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}

\bar{M}_i^g is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions

M_q^g is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions

\bar{M}_i is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session

M_{iq} is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session

(नार्मालाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाइट देखें)

2.14 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन:-

- (i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।
- (ii) बिन्दु क्रमांक 3.13 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी।
- (iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.15 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

- (अ) अनुचित साधन (Unfair means) / यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में
1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा / Rough Papers / Loose Paper Slip उपयोग करना इलेक्ट्रॉनिक घड़ी एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना।
 2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफुसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
 3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
 4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
 5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
 6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
 7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
 8. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
 9. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

यूएफएम प्रकरणों में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियाकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

- (ब) पररूपधारण (IMPERSONATION) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में

1. अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरुद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

2. विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय परीक्षा/ दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा।

पी.ई.बी.द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम.समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है।

2.16 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

- (i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरान्त परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।
- (iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाएंगी।
- (v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाएँ भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाएंगी।

2.17 परीक्षा परिणाम :-

- (i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जायेगा।
- (ii) तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.18 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

- (i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।
- (ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।
- (iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा।
- (iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.19 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

खण्ड-ब

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **प्रारूप-03** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवीं/दसवीं अथवा बारहवीं की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.21 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र **प्रारूप-03** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खिंचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

2.22 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।
- (ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।
- (iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.23 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- (i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- (ii) आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।
- (v) **ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक अनिवार्यतः अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**
 1. आवेदन पत्र में आधार नम्बर की प्रविष्टि करना ।
 2. उपरोक्त आधार नम्बर द्वारा M.P.S.R.D.H (मध्यप्रदेश स्टेट रेजिडेंट डेटा हब) की e-KYC सुविधा का लाभ लेते हुए आवेदन पत्र में उचित प्रविष्टि करना इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन अथवा एप्लीकेशन फार्म फेस्टीलेशन एजेंसी द्वारा M.P.S.R.D.H. तथा स्वयं के मध्य एक वेब सर्विस एप्लीकेशन तैयार की जाकर एप्लीकेशन पोर्टल में अनुप्रयुक्त किया जाना है। इस हेतु आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा जिससे e-KYC सत्यापन हो सके ।

3. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का आधार इनेबिल्ड बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाना है अब तक यह सत्यापन आधार (Aadhar) से लिंक नहीं था। इस हेतु पी.ई.बी. तथा M.P.S.R.D.H. के मध्यक एक एम ओ.यू. संपादित किया गया है जिसके द्वारा अभ्यर्थी का आधार इनेबिल्ड सत्यापन रजिस्ट्रेशन डेस्क पर स्वतः हो सकेगा।

(vi) पहचान पत्र के मीनू में पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

2.24 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- (ii) इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.25 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- (i) आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

Vyapam लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

- (ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

- (v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।
- (vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.26 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.27 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.28 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.29 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
- (ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- (iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- (v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- (vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- (ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

2.30 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

2.31 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.32 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.33 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.34 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे।

2.35 पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुनःगणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा।

2.36 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

खण्ड-स

2.37 आनलाईन आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के कुल दिवस	ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि	ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने के कुल दिवस
28.10.2017	11.11.2017	15	28.10.2017	16.11.2017	20

2.38 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्र.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम	09.12.2017 से	02 घंटे	प्रातः 09:00 से 11:00 तक	100
2	द्वितीय	31.12. 2017 तक		दोपहर 03:00 से 05:00 तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

2.39 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क	सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये
01.	एक	500/-	250/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रु. 70/- एवम् इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क रु. 40/-	निरंक

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	50/-

2.40 परीक्षा शहर :-

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अतः परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रों की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र				
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. उज्जैन
6. नीमच	7. रतलाम	8. मंदसौर	9. सागर	10. सतना

11. खण्डवा	12. गुना	13. दमोह	14. कटनी	15. सीधी
------------	----------	----------	----------	----------

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.41

- (i) परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1:30 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।
- (ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक प्रणाली से अंगूठे का निशान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।
- (iv) पी.ई.बी की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।
- (v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- (vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।
- (vii) पी.ई.बी. की वेबसाइट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेंगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।
- (viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेंगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखें जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है।

- (xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।
- (xiii) ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट मूल आई डी के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी ।
- (xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय - 03

पाठ्यक्रम

dy val 100

- 1- सामान्य ज्ञान 1
- 2- सामान्य गणित व सामान्य अभिरुचि 1
- 3- सामान्य हिंदी 1
- 4- ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवम् पंचायती राज 1
- 5- कंप्यूटर विज्ञान 1

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्न क क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

प्रारूप-2

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.12 एवं 2.13)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	

अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

ik i&3

Professional Examination Board प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

हस्ताक्षर / Signature

पटवारी भ

बोर्ड,भोपाल

ge 43

4" x 5" सेमी फोटो यहाँ
चिपकाये

Box-2

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम :
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय :
3. परीक्षा केन्द्र का नाम :
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) :
(जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) :
6. परीक्षार्थी का रोल न. :
7. परीक्षार्थी का आवेदन पत्र क्रमांक, :
फ़ोन नंबर एवम् मोबाइल नंबर :
8. बैंक का नाम :
9. बैंक शाखा का नाम :
10. बैंक का IFS Code :
11. बैंक खाता क्रमांक :
12. परीक्षार्थी गृह जिला :
13. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी :
14. यात्रा का प्रकार :
15. यात्रा सम्बन्धी दस्तावेज :
16. यात्रा व्यय की राशि :

दिनांक.....

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

.....



* परिशिष्ट - एक

प्रारूप - 5

स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र (अस्टाम्पित कागज पर)

मैं आत्मज/पति श्री आयु लगभग वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि :-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती एवं आयु (लगभग) वर्ष हैं।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री -
 - 1- श्री / कु. एवं आयु (लगभग) वर्ष हैं।
 - 2- श्री / कु. एवं आयु (लगभग) वर्ष हैं।
4. (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के जापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)
 - 1- मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर मोहल्ला ग्राम तहसील जिला में वर्ष में पैदा हुआ/हुई हूँ।
 - 2- मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील जिला में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो | यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये।
 - 3- मैं, राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नाम विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ/ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
 - 4- मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में पद पर कार्यालय में सेवारत / सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।
(कार्यरत/ सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय / जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।)
 - 5- मैं, केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर कार्यालय तहसील जिला के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।

- 6- मैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष बैच) अधिकारी हूँ | पद पर
..... कार्यालय/मंत्रालय में पदस्थ हूँ/ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ |
(कार्यरत/ सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)
- 7- मैं, मध्यप्रदेश में संवैधानिक / विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति / महामहिम राज्यपाल द्वारा
नियुक्त हूँ | (पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जायें |)
- 8- मैं, भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 05 वर्षों तक (अवधि) निवास किया है / अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में
पहले से ही निवासरत हैं | (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण, संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें |)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, आत्मज / पति श्री आयु वर्ष, निवासी
..... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी
मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य हैं | इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है | मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा
असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक / दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी | साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिए जायेंगे |

सत्यापन आज दिनांक वर्ष को स्थान में किया गया |

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी उल्लेख घोषणा-पत्र में किया जावें)